रजिस्ट्री संख्या डी. एल.—33001/92 REGISTERED NO. DL-33001/92

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 46] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 14, 1992/कार्तिक 23, 1914
No. 46] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 14, 1992/KARTIKA 23, 1914

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खंड 3—उप-खंड(i)
PART II—Section 3—Sub-section(i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किये गये साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws etc. of a general Character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 16 अक्तूबर, 1992

सा. का. नि. 497.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 299 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देते हैं कि भारत सरकार के तत्कालीन विधि मंत्रालय (विधि कार्य विभाग) की अधिसूचना सं. सा. का. नि. 585 तारीख 1 फरवरी, 1966 में निम्नलिखित और संशोधन किया जाएगा, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में:—

भाग IX में "गृह मंत्रालय की दशा में" शीर्षक के अधीन पैरा 18 के पश्चात् मद "क" में निम्नलिखित पैरा और उनसे संबंधित प्रविष्टियां अंत में जोड़ी जाएंगी, अर्थात्:—

क "प्र.19 :

(क) क्रय, आपूर्ति और प्रवहण अथवा भंडार, मशीनरी आदि सामग्री के वहन से संबंधित सभी सुविधाएं और लिखत, और

(ख) संकर्म अथवा/और संविदाओं के सम्यक् निष्पादन और समापन के लिए प्रतिभूति बंधपत्र और संकर्म और/या संविदाओं के सम्यक् निष्पादन और समापन के लिए किसी प्रतिभूति से संबंधित अन्य सभी लिखत, और

(ग) प्रतिभूति के रूप में दी गई सम्पत्ति के प्रतिहस्तांतरण से संसक्त सभी लिखत, और

(घ) गृह मंत्रालय के उपापन खंड के निदेशकों/उप-निदेशकों/सहायक निदेशकों/डैस्क अधिकारियों/अनुभाग अधिकारियों द्वारा भवनों एवं संयंत्रों के परिवर्धन तथा परिवर्तन और मशीनरी तथा विद्युत और स्वच्छता संबंधी संस्थापनाओं की

5	6	7
Not applicable.	No	Between 18 and 25 years (Relaxable for Government servants upto 35 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). NOTE :—The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andaman & Nicobar Islands and Lakshadweep). In the case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.

8	9	10	11
(i) Bachlor's degree in Arts/Science/Commerce; and (ii) Bachelor's degree in Library Science of a recognised University or equivalent.	Not applicable.	2 years.	By direct recruitment.

12	13	14
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

Note : 1. The existing grade of Senior Librarian (Rs. 1640—2900) has been redesignated as Senior Library and Information Assistant.

Note : 2. The existing grades of Librarian (Rs. 1400—2300), Assistant Librarian (Rs. 1350—2200), Library Assistant and Cataloguer (Rs. 1200—2040) have been merged into one grade i.e. Library & Information Assistant in the scale of Rs. 1400—2600 as recommended by the Review Committee. The sanctioned strength of the above four grades i.e. 20 posts will be taken into one grade i.e. Library & Information Assistant.

[File No. 2/41/91-CSZ]

B.J. BHATTACHARYA, Desk Officer

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 19 अक्तूबर, 1992

सा.का.नि. 506--राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आकाशवाणी (समूह "ग" पद) भर्ती नियम, 1964 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :--

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आकाशवाणी (समूह "ग" पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 1992 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आकाशवाणी (समूह "ग" पद) भर्ती नियम, 1964 की अनुसूची में प्रधान लिपिक/लेखाकार/ज्येष्ठ भंडारी से संबंधित क्रम संख्यांक 64 के सामने:--

(क) स्तंभ 10 के नीचे, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"लागू नहीं होता",

(ख) स्तंभ 13 के नीचे विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति"
(प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) :

(1) राज्य/राज्यों के समूह में आकाशवाणी केन्द्र के आंचलिक केन्द्र का केन्द्र निदेशक--अध्यक्ष

(2) राज्य/राज्यों के समूह के किसी आकाशवाणी केन्द्र का ज्येष्ठतम केन्द्र इंजीनियर--सदस्य

(3) आंचलिक केन्द्र के दूरदर्शन केन्द्र में उप निदेशक (प्रशासन)/ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी/प्रशासनिक अधिकारी--सदस्य

[फाइल संख्या 9/24/91-एस. 2/बी(ए)]

कश्मीरी लाल, अवर सचिव

टिप्पण :--मूल नियम जिनका संक्षिप्त नाम आकाशवाणी (समूह "ग") भर्ती नियम, 1964 है, सा.का.नि.सं. 1770 तारीख 31-11-1964 द्वारा अधिसूचित किए गए थे और उनके पश्चात्—भर्ती संशोधन निम्नलिखित द्वारा अधिसूचित किए गए हैं :--

1. अधिसूचना संख्या 11/5/64-बी(ए), तारीख 9-8-1965 ,
2. अधिसूचना संख्या 5/2/87-बी(ए), तारीख 5-2-1967
3. अधिसूचना संख्या 7/2/68-बी(ए), तारीख 24-2-1970
4. अधिसूचना संख्या 7/8/66-बी(ए), तारीख 31-1-1970
5. अधिसूचना संख्या 20/8/67-बी(ए), तारीख 4-2-1970
6. अधिसूचना संख्या 16/20/67-बी(ए), तारीख 30-3-1970
7. अधिसूचना संख्या 1/7/70-बी(ए), तारीख 19-3-1971
8. अधिसूचना संख्या 1/8/71-बी(ए), तारीख 29-1-1972
9. अधिसूचना संख्या 1/8/71-बी(ए), तारीख 2-2-1972
10. अधिसूचना संख्या 1/11/71-बी(ए), तारीख 5-5-1972

11. अधिसूचना संख्या 1/4/72-बी(ए), तारीख 16-6-1972
12. अधिसूचना संख्या 1/7/71-बी(ए), तारीख 14-11-1972
13. अधिसूचना संख्या 1/6/73-बी(ए), तारीख 23-5-1973
14. अधिसूचना संख्या 1/11/73-बी(ए), तारीख 29-6-1973
15. अधिसूचना संख्या 1/5/73-बी(ए), तारीख 20-8-1973
16. अधिसूचना संख्या 1/7/70-बी(ए), तारीख 15-5-1974
17. अधिसूचना संख्या 1/7/70-बी(ए), तारीख 8-8-1974
18. अधिसूचना संख्या 1/5/74-बी(ए), तारीख 21-5-1976
19. अधिसूचना संख्या 12019/10/78-बी(ए), तारीख 26-12-1978
20. अधिसूचना संख्या 12019/1/79-बी (ए), तारीख 17-12-1980
21. अधिसूचना संख्या 12019/8/80-बी(ए), तारीख 27-9-81
22. अधिसूचना संख्या 12019/4/81-बी(ए), तारीख 17-5-1983
23. अधिसूचना संख्या 12019/4/81-बी(ए), तारीख 11-4-1983
24. अधिसूचना संख्या 45011/83/82-बी(ए), तारीख 19-9-1983
25. अधिसूचना संख्या 7/19/83-बी(ए), तारीख 3-7-1984
26. अधिसूचना संख्या 3/25/83-सी.आर.सी.आर./एस.II/ई आई आर./बी(ए), तारीख 2-6-1987
27. अधिसूचना संख्या 7/5/86-ए.आर/ए.आई.आर./बी(ए), तारीख 19-9-1987
28. अधिसूचना संख्या 7/13/86-ए.आर./बी(ए), तारीख 10-11-1987
29. अधिसूचना संख्या 8/36/87-एस.II/बी(ए), तारीख 30-12-1987
30. अधिसूचना संख्या 14/19/86-एस.II/एस., तारीख 27-4-1988
31. अधिसूचना संख्या 2/7/83-सी.आर.सी.आर./एस.2/एस.8/बी(ए), तारीख 23-5-1998
32. अधिसूचना संख्या 8/38/87-एस.2/बी(ए), तारीख 21-6-1988
33. अधिसूचना संख्या 8/38/87-एस.2/बी(ए), तारीख 22-6-1989
34. अधिसूचना संख्या 2/32/88-एस.2/बी(ए), तारीख 13-2-1990
35. अधिसूचना संख्या 2/32/88-एस.2/बी(ए), तारीख 3-8-1991
36. अधिसूचना संख्या 11/3/91-एस.6/बी(ए), तारीख 25-11-1991

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 19th October 1992

G.S.R. 506.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the All India Radio (Group 'C' Posts) Recruitment Rules, 1964, namely :—

1. (1) These rules may be called the All India Radio (Group 'C' posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1992.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the All India Radio (Group 'C' Posts) Recruitment Rules, 1964 against serial number 64 relating to the post of Head Clerk/Accountant/Senior Storekeeper,—

(a) under column 10, for the existing entry, the following shall be substituted, namely :—

"NOT APPLICABLE" ;

(b) under column 13 for the existing entry, the following shall be substituted, namely :—

"Group 'C' Departmental Promotoin Committee for considering promotion) :

(i) Station Director of the Zonal Station of All India Radio Station in State/Group of States.

(ii) Senior most Station Engineer of any All India Radio Station of State/Group of States — Member

(iii) Deputy Director (Administration)/Senior Administrative Officer/Administrative Officer of Doordarshan Kendra at the Zonal Station —Member'."

[F. No. 9/24/91-S. II/B(A)]

KASHMIRI LAL, Under Secy.

Note.—The Principal rules called the All India Radio (Group 'C' Posts) Recruitment Rules, 1964 were notified vide GSR No. 1176 dated 30-11-1964 and subsequently the following amendments have been notified :—

1. Notification No. 11/5/64-B(A), dated 9-8-1965
2. Notification No. 5/2/67-B(A), dated 20-3-1967
3. Notification No. 7/2/68-B(A), dated 14-6-1968
4. Notification No. 7/8/66-B(A), dated 31-1-1970
5. Notification No. 20/8/67-B(A), dated 24-2-1970
6. Notification No. 16/20/67-B(A), dated 30-3-1970
7. Notification No. 1/7/70-B(A), dated 18-3-1971
8. Notification No. 1/8/71-B(A), dated 29-1-1972
9. Notification No. 1/8/71-B(A), dated 2-2-1972
10. Notification No. 1/11/71-B(A), dated 5-5-1972
11. Notification No. 1/4/72-B(A), dated 16-6-1972
12. Notification No. 1/7/71-B(A), dated 14-11-1972
13. Notification No. 1/6/73-B(A), dated 23-5-1973
14. Notification No. 1/11/73-B(A), dated 29-6-1973
15. Notification No. 1/5/73-B(A), dated 20-8-1973
16. Notification No. 1/7/70-B(A), dated 15-5-1974
17. Notification No. 1/7/70-B(A), dated 8-8-1974
18. Notification No. 1/3/74-B(A), dated 21-5-1976
19. Notification No. 12019/10/78-B(A), dated 26-12-1978
20. Notification No. 12019/1/79-B(A), dated 17-12-1980
21. Notification No. 12019/8/80-B(A), dated 27-4-1981
22. Notification No. 12019/4/81-B(A), dated 17-5-1983
23. Notification No. 12019/4/81-B(A), dated 11-4-1983
24. Notification No. 45011/83/82-B(A), dated 19-9-1983
25. Notification No. 7/19/83-AR/B(A), dated 3-7-1984
26. Notification No. 3/25/83-CRCR/SS. II/AIR/B(A), dated 2-6 1987
27. Notification No. 7/5/86-AR/AIR/B(A), dated 10-9-1987
28. Notification No. 7/13/86-AR/B(A), dated 10-11-1987
29. Notification No. 8/36/87-S. II/B(A), dated 30-12-1987
30. Notification No. 14/19/86-S.II/B(A), dated 27-4-1988
31. Notification No. 2/7/83-CRCR/S.II/S.VIII/B(A), dated 23-5-1988
32. Notification No. 8/38/87-S.II/B(A), dated 21-6-1988
33. Notification No. 8/38/87-S.II/B(A), dated 22-6-1989
34. Notification No. 2/32/88-S.II/B(A), dated 13-2-1990
35. Notification No. 2/32/88-S.II/B(A), dated 3-5-1991
36. Notification No. 11/3/91-S.VI/B(A), dated 25-11-1991

नई दिल्ली, 19 अक्तूबर, 1992

सा.का.नि. 507—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति आकाशवाणी (समूह "ग" पद) भर्ती नियम, 1979 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आकाशवाणी (समूह "ग" पद भर्ती (संशोधन) नियम, 1993 है।

(2) ये 1 जून, 1986 से प्रभावी समझे जाएंगे।

2. आकाशवाणी (समूह, "ग" पद) भर्ती नियम, 1979 की अनुसूची में :—

(क) क्रम संख्यांक 1 के सामने इंजीनियरी सहायक के पद से संबंधित स्तंभ 5 में विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

1400-40-1600-50-2300 द. रो.-60-2600 रु."

(ख) क्रम संख्यांक 2 के सामने मास्ट तकनीशियन के पद से संबंधित स्तंभ 5 में विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा अर्थात् :—

"1320-30-1560-द.रो.-40-2040 रु."

(ग) क्रम संख्यांक 3 के सामने तकनीशियन के पद से संबंधित स्तंभ 5 में विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा अर्थात् :—

1200-30-1440-द.रो.-30-1800 रु."

स्पष्टीकरण ज्ञापन

अधीनस्थ विधायन समिति (दसवीं लोक सभा) ने अपनी दूसरी रिपोर्ट में यह संप्रेक्षण किया था कि इंजीनियरी सहायक, मास्ट तकनीशियन और तकनीशियन के पद के लिए भर्ती नियमों में चौथे केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा सिफारिश किए गए उनके पदों के पुनरीक्षित वेतनमान नहीं दिए गए हैं। वास्तविक व्यवहार में इन पदों पर कार्य कर रहे पदधारी 1 जनवरी, 1986 से पुनरीक्षित वेतनमान ले रहे हैं। इस परिवर्तन को प्रभावी करने के लिए आकाशवाणी (समूह "ग" पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 1991 में पुनरीक्षित वेतनमान सम्मिलित कर दिए गए थे। तथापि, असावधानता से वे इस प्रकार अधिसूचित किए गए थे कि वे राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे। चूंकि उक्त अधिसूचना से वास्तविक तथ्य चित्रित नहीं होते थे इसलिए यह महसूस किया गया है कि यह संशोधन जारी करके गलती को सुधारा जाए।

[संख्या : 310/46/89/बी(डी)]
मोहन फ्रांसिस, अवर सचिव

टिप्पणी :—

प्रमुख नियमों को 2 जून, 1979 की सा.का.नि. 762 द्वारा अधिसूचित किया गया था और क्रमशः निम्न द्वारा संशोधित किया गया।

1. अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 150 दिनांक 7-2-1981
2. अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 605 दिनांक 22-6-1985
3. अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 727 दिनांक 6-9-1986
4. अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 302 दिनांक 25-4-1987
5. अधिसूचना संख्या 3/45/88-एस चार (ए) बी (डी) दिनांक 22-6-1989
6. अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 119 दिनांक 24-2-1990
7. अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 213 दिनांक 7-4-1990
8. अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 342 दिनांक 1-6-1991

New Delhi, the 19th October, 1992

G.S.R. 507.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the All India Radio (Group 'C' Posts) Recruitment Rules, 1979, namely :—

1. (i) These rules may be called the All India Radio (Group 'C' Posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1992.

(ii) They shall be deemed to have come into force on 1st day of June, 1986.

2. In the Schedule to the All India Radio (Group 'C' Posts) Recruitment Rules, 1979,

(a) against Sl. No. 1 relating to the post of Engineering Assistant, in column 5, for the existing entry, the following shall be substituted, namely :—

"Rs. 1400-40-1600-50-2300-EB-60-2600" ;

(b) against Sl. No. 2 relating to the post of Mast Technician, in column 5, for the existing entry, the following shall be substituted, namely :—

"Rs. 1320-30-1560-EB-40 2040";

(c) against Sl. No. 3 relating to the post of Technician, in column 5, for the existing entry, the following shall be substituted, namely :—

"Rs. 1200-30-1440-EB-30-1800."

Explanatory Memorandum

It was observed by the Committee on Subordinate Legislation (Tenth Lok Sabha) in its second report that the recruitment rules for the post of Engineering Assistant, Mast Technician and Technician did not carry the revised pay scales of their posts as recommeded by the Fourth Central Pay Com-mission. In actual practice the incumbents working in these posts are drawing the revised pay scales with effect from 1st January, 1986. In odder to effect this change, the revised pay scales were incorporated in the All India Radio (Group 'C' Posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1991. However, inadvertently, the same were notified to come into force on the date of publication in the Official Gazette. As the said notification did, not depict the actual facts so it has been felt to rectify the error by issuing this amendment.

[No. 310/46/89-B (D)]
MOHAN FRANCIS, Under Secy.

Footnote—Principal rules were notified by GSR 762 dated 2nd June 1979 and subsequently amended by :—

1. Notification No. GSR 150 dated 7-2-1981
2. Notification No. GSR 605 dated 22-6-1985
3. Notification No. GSR 727 dated 6-9-1986
4. Notification No. GSR 302 dated 25-4-1987
5. Notification No. 3/45/88-SIV (A)/B (D) dated 22-6-1989
6. Notification No. GSR 119 dated 24-2-1990
7. Notification No. GSR 213 dated 7-4-1990
8. Notification No. GSR 342 dated 1-6-1991.

नई दिल्ली, 16 अक्तूबर, 1992

सा.का.नि. 508—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आकाशवाणी (समूह "ग" पद) भर्ती नियम, 1964 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आकाशवाणी (समूह "ग" पद) भर्ती (संशोधन) नियम 1992 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आकाशवाणी (समूह "ग" पद) भर्ती नियम, 1964 की अनुसूची में लिपिक श्रेणी-1/भंडारी के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 71 के सामने,—

(क) स्तंभ 10 के नीचे विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

लागू नहीं होता।"

(ख) स्तंभ 13 के नीचे विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा अर्थात् :—

"समूह" "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति
(प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए)

(1) राज्य/राज्यों के समूह में आकाशवाणी केन्द्रों के आंचलिक केन्द्र का केन्द्र निदेशक—अध्यक्ष